APC I

3/1/19

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2715538, E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप/जय/Gen./2018/10096 दिनांकः 3 / 1 /2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषयः– इलेक्ट्रानिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ कार्यक्रम **"Ideate for India- Creative solutions using Technology"** के संबंध में।

संदर्भ:– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्वशासकिय पत्रांक 15–9/2018-IS-8 दिनांक 24.12.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि राष्ट्रीय ई–गवर्नेस डिवीज़न (NeGD), इलेक्ट्रानिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा "Ideate for India- Creative solutions using Technology" कार्यक्रम की इंटेल इंडिया के सहयोग से 6 दिसम्बर 2018 को शुरूआत की गई। जिसका उद्देश्य विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को अपने आस–पास एवं समाज से जुडी समस्याओं के समाधान का अवसर प्रदान करना है। इसके द्वारा विद्यार्थी अपने आसपास की स्थानीय समस्याओं का निवारण स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करते हुए कर सकेगे।

"Ideate for India- Creative solutions using Technology" कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :–

1. उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों शामिल किया जाना है। जिसमें विद्यार्थी स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजीटल, पर्यावरण, महिला सुरक्षा, कृषि, पर्यटन इत्यादि विषयों पर अपने विचार/समाधान साझा कर सकते है।
2. उक्त योजनान्तर्गत प्रति राज्य 10 विद्यार्थियों का चयन कर देश के चयनित संभागो में विषय विशेषज्ञो द्वारा शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगे।
3. उक्त शिविरों में विद्यार्थियों हेतु आवश्यक सामग्री आयोजक द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी।

अतः आप जिले के विद्यार्थियों को कार्यक्रम के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करे। कार्यक्रम के संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट **negd.gov.in or www.digitalindia.gov.in** प्राप्त की जा सकती है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(आभा बैनीवाल)
उपायुक्त–तृतीय

www.rajteachers.com

क्रमांक : रामाशिप/जय/Gen./2018/10097 दिनांकः 3 / 1 /2019

प्रतिलिपिः – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. उपनिदेशक शालादर्पण को देकर लेख है कि उक्त सूचना को पोर्टल पर अपलोड कर सभी विद्यालयों तक पहुच सुनिश्चित करें।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक।
6. समस्त संस्था प्रधान को देकर लेख है कि उक्त कार्यक्रम की प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सुनिचित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

ADPC, SMSA-TONK
CBEO समस्त जिला टोंक
आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

आभा बैनीवाल उपायुक्त-III रा.स्कू.शि.प., जयपुर

अति. जिला परियोजना समन्वयक, रा. मा. शि. प. टोंक